[2023] 2 एस.सी.आर. 875

पवन कुमार चौरसिया

बनाम

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील सं 2230/2010)

14 मार्च, 2023

[अभय एस. ओका, न्यायाधीश और राजेश बिंदल, न्यायाधीश]

आपराधिक कानून-साक्ष्य-गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति-दोषसिद्धि जब न्यायसंगत नहीं अपीलार्थी को गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 302, आर./डब्ल्यू. 34 और धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी ने पीडब्लू-1 से पीडब्लू-9 के समक्ष स्वीकार किया था-हालाँकि, पीडब्लू1 से पीडब्लू6 तक जिसमें शिकायतकर्ता स्वयं जिसका पुत्र मारा गया था, ने अभियोजन का समर्थन नहीं करते थे -पीडब्लू7 से पीडब्लू9 तक, एकमात्र सामग्री अभियोजन पक्ष उस स्थान के बारे में सुसंगत नहीं थे जहाँ कथित स्वीकारोक्ति की गई थी-उनके सामने, अपीलार्थी द्वारा हत्या करने के कथित गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के बाद भी उनके द्वारा पुलिस को रिपोर्ट नहीं की गई थी-अभियोजन पक्ष के अनुसार वे अपीलार्थी के साथ उस खेत में गए थे जहाँ शव दफनाए गए थे, पुलिस को सूचित किए बिना-यह आचरण असामान्य और अप्राकृतिक है-यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी और इन तीन गवाहों के बीच संबंध ऐसा था की अपीलार्थी को इन तीन गवाहो पर पूरा भरोसा था और इसलिए, इन पर विश्वास किया। अभियोजन पक्ष का मामला और न्यायिक-स्वीकारोक्तिति के बारे में कुछ भी विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त,

अन्य कोई परिस्थिति रिकार्ड पर नहीं लाया गया जो अभियोजन पक्ष के बाद को समर्पित था संपुष्ट कर सके और न्याय स्वीकारोक्ति के रुप में याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया सबूत खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि धारणीय नहीं है- विवादित निर्णय रद्द कर दिया गया। याचक रिहा किया गया- दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302, 34 और 201

साक्ष्य-अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति-साक्ष्यात्मक मूल्य अभिनिर्धारित और न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर भाग है-हालांकि, एक दोषसिद्धि को अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर बनाए रखा जा सकता है बशर्ते कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य साबित हो-यह किसी भी प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए-इस तरह के स्वीकारोक्ति का प्रमाणिक मूल्य उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जिससे यह किया जाता है-आम तौर पर, एक व्यक्ति किए गए अपराध के बारे में खुलासा केवल ऐसे व्यक्ति के साथ करेगा जिसमें उसे अंतर्निहित विश्वास है-इसके अलावा, न्यायालय को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता से संतुष्ट होना चाहिए जिसमें यह किया गया है-नियम के रूप में, पुष्टि की आवश्यकता नहीं है-हालांकि, यदि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है, तो यह अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करता है।

आपराधिक अपीलीय न्यायाधिकारः आपराधिक अपील सं. 2230/2010

आपराधिक अपील सं. 237/2002 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.03.2007 के निर्णय और आदेश से।

गौरव अग्रवाल, सौरव सुनील, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

अभिनव मुखर्जी, अक्षय सी. श्रीवास्तव, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति

<u>वास्तविक पृष्ठभूमि</u>

1. अपीलार्थी जो आरोपी संख्या-1 है। पर चार अन्य लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 साथ ही 34 पढा जाता है के साथ-साथ धारा 201 (संक्षेप में,

भा.दं.सं.) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। अपीलार्थी को दोनों अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की, जबकि शेष चार अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

2. पहला सूचना देने वाला एक लाखी प्रसाद चौरसिया (पीडब्लू-5) है।प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) 20 जून 1989 को दर्ज की गई थी।जिस पहले मुखबिर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसके बयान में कहा गया है कि यह राधे प्रसाद मंडल (पीडब्लू-1), किसान लाल मंडल (पीडब्लू-4), सत्य नारायण मंडल (पीडब्लू-6) और मोहम्मद तमीजुद्दीन (पीडब्लू-7) की उपस्थिति में दर्ज किया गया है। आरोप है कि 10 जून 1989 को पीडब्लू-5 ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके पुत्र कमलेश और भतीजे, हीरा चौरसिया (पीडब्लू-9) के पुत्र बुल्ला के संबंध में थी।वे 2 जून 1989 से लापता थे। पीडब्लू-5 ने कहा कि लगभग 02 बजे:20 जून 1989 को उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अन्य के साथ मिलकर वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दोनों लड़कों की हत्या कर दी गई थी। इसलिए, वह ऊपर वर्णित व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी के घर गया और पूछताछ की। हालांकि शुरू में, अपीलार्थी ने इनकार किया, कुछ अनुनय के बाद, उसने उपरोक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में स्वीकार किया कि उसने और चार अन्य (सह-अभियुक्त) ने दोनों लड़कों का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी थी और उनके शवों को एक भागीरथ के खेत नक्की बारी में छिपा दिया था। पीडब्लू-5 अपीलार्थी और अन्य लोगों के साथ उक्त क्षेत्र में गया। अपीलार्थी ने मिट्टी को हटा दिया और दोनों शव पाए गए।इसके बाद वह थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।

3. अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की। पीडब्लू-1 राधे प्रसाद मंडल; पीडब्लू-2 जगदीश प्रसाद चौरसिया; पीडब्लू-3 शोभा लाल मंडल; पीडब्लू-4 किसान लाल मंडल; पीडब्लू-5 स्वयं शिकायतकर्ता; और पीडब्लू-6 सत्य नारायण मंडल को प्रतिकूल साक्षी घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी ने इन गवाहों की उपस्थिति में स्वीकारोक्ति दी थी।पीडब्लू-7 मो. तमीजुद्दीन; पीडब्लू-8 सुचई मंडल और पीडब्लू-9 हीरालाल चौरसिया ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया और अपीलार्थी

द्वारा उनके सामने किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में गवाही दी।पीडब्लू-10 एक डॉक्टर है जिसने शव परीक्षण किया। जाँच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई।अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर आधारित है। दोनों अदालतों ने कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास किया है।

4. पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील की सहायता से, हमने निचली अदालतों द्वारा दर्ज किया गये अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और विशेष रूप से P.W.7 से 9 के ब्यानो एवं निष्कर्षों को अध्ययन किया है।

गैर न्यायिक-स्वीकारोक्ति का साक्ष्यिक मूल्य

5. जहाँ तक गैर- न्यायिक स्वीकारोक्ति का संबंध है, कानून अच्छी तरह से स्थापित है। आम तौर पर, यह सबूत का एक कमजोर भाग है। हालाँकि, गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है बशर्ते कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सच्ची साबित हो।यह किसी भी प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए। इस तरह के कबूलनामे का प्रमाणिक मूल्य उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जिससे यह किया जाता है।मानव आचरण के स्वाभाविक क्रम को देखते हुए, आम तौर पर, एक व्यक्ति केवल ऐसे व्यक्ति के साथ अपने द्वारा किए गए अपराध के बारे में बताएगा जिसमें उसे अंतर्निहित विश्वास है। आम तौर पर, एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के सामने स्वीकारोक्ति नहीं करेगा जो उसके लिए पूरी तरह से अजनबी है। इसके अलावा, न्यायालय को स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता से संतुष्ट होना है उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिसमें उसे किया गया है। नियम के रूप में, पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि एक गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति की पुष्टि रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है, तो यह अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करता है।

प्रमाण का विश्लेषण

6. जैसा कि पहले बताया गया है, पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 तक, जिसमें शिकायतकर्ता स्वयं भी शामिल था, जिसके पुत्र की हत्या कर दी गई थी, ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी ने पीडब्लू-1 से पीडब्लू-9 तक के सामने स्वीकार किया था।हमने P.W Nos.7, 8 और 9 जो एकमात्र

सामग्री अभियोजन गवाह के गवाहों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है।यहाँ उनके साक्ष्य का विश्लेषण दिया गया हैः

(क) पीडब्लू-7 ने कहा है कि 20 जून 1989 को लगभग 02 बजे:30 p.m जब वह पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 और अन्य व्यक्तियों के साथ भागीरथ मंडल के द्वार के पास बात कर रहा था, तो पीडब्लू-5 वहाँ आया और उन्हें बताया कि उसे जानकारी मिली है कि पवन (अपीलकर्ता) ने अपने पुत्र कमलेश और भतीजे बुल्ला की हत्या कर दी है और उनके शवों को छिपा दिया है। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-5 द्वारा प्राप्त कथित जानकारी के स्रोत की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

(ख) पीडब्लू-8 सुचई का कथन अलग है। पीडब्लू-5 की शिकायत में पीडब्लू-8 सुचई का नाम नहीं है।पीडब्लू-8 सुचई का दावा है कि 6 जून 1989 को उन्होंने अपीलार्थी को दो व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना कि उसने दो लड़कों की हत्या कर दी थी और उनके शवों को छिपा दिया था। यह ध्यान देने योग्य है कि हालाँकि पीडब्लू-8 को 6 जून 1989 को अपीलार्थी द्वारा किए गए कथित स्वीकारोक्ति के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस में शिकायत नहीं की। पुलिस को रिपोर्ट करने में चूक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह निश्चित रूप से मृतक बुल्ला का चाचा था।उसकी खामोशी अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में और संदेह पैदा करती है।

(ग) पीडब्लू-8 ने कहा कि वह अन्य लोगों के साथ अपीलार्थी के साथ उस स्थान पर गया जहाँ शवों को दफनाया गया था। उसका कथन है कि अपीलार्थी ने उस समय स्वीकारोक्ति की जब वह दूसरों के साथ भागीरथ के द्वार पर बैठा था। गवाह ने यह नहीं कहा है कि पीडब्लू-1 से पीडब्लू-9 तक 20 जून 1989 को अपीलार्थी के घर गए थे जब अपीलार्थी ने गैर न्यायिक स्वीकारोक्ति दी थी। हालांकि पीडब्लू-8 ने ऐसा नहीं कहा, पीडब्लू-9 हीरालाल ने कहा कि यह पीडब्लू-8 ही था जिसने अपीलार्थी द्वारा कुछ खुदाई के बाद शवों को निकाला था।

(घ) जहाँ तक पीडब्लू-9 हीरालाल का संबंध है, वे बुल्ला के पिता हैं। उन्होंने उस स्थान का उल्लेख नहीं किया है जहाँ अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति की

गई थी। उन्होंने बस इतना कहा कि उनके पुत्र लापता होने के 19 दिन बाद, अपीलकर्ता ने उसकी उपस्थिति में एक भागीरथ (अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई), पीडब्लू-1, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 को खुलासा किया कि उसने दोनों लड़कों की हत्या कर दी थी और उनके शवों को भागीरथ के खेत में छिपा दिया था। उनका कहना है कि यह सुचई (पीडब्लू-8) ही थे जिन्होंने शवों को निकाला था। हालाँकि, पीडब्लू-8 ने स्वयं यह नहीं बताया कि उसने शवों को बाहर निकाला था।

(ङ) पीडब्लू-7 के कथन के अनुसार, पीडब्लू-1 ने उसे अपीलार्थी द्वारा किए गए किसी भी गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में सूचित नहीं किया, लेकिन पीडब्लू-1 ने उसे सूचित किया कि उसे जानकारी मिली थी कि अपीलार्थी ने दोनों लड़कों की हत्या कर दी थी। इन तीन गवाहों में से, पीडब्लू-7 एकमात्र गवाह है जिसने कहा कि अपीलार्थी ने अपने घर में स्वीकारोक्ति दी थी।

(च) पीडब्लू-7 के संस्करण के अनुसार, 20 जून 1989 की दोपहर को पीडब्लू-5 द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि अपीलार्थी ने दोनों लड़कों की हत्या कर दी है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि पीडब्लू-7 ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया।गवाह का यह आचरण अप्राकृतिक है।

(छ) अभियोजन पक्ष का समर्थन करने वाले इन तीन गवाहों में से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि अपीलार्थी या तो उनका रिश्तेदार था या करीबी परिचित था। वास्तव में, उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि वे अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी और इन तीन गवाहों के बीच संबंध ऐसा था कि अपीलार्थी को इन तीन गवाहों में अंतर्निहित विश्वास था और इसलिए, उसने उनपर विश्वास किया।

(ज) अपीलार्थी द्वारा उनके समक्ष हत्या करने का कथित गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति किए जाने के बाद भी, पीडब्लू-7 से पीडब्लू-9 ने पुलिस को सूचित नहीं किया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पुलिस को सूचित किए बिना, वे अपीलार्थी के साथ भागीरथ के खेत में गए जहाँ शव दफनाए गए थे। पीडब्लू-7 से पीडब्लू-9 का यह आचरण असामान्य

और अस्वाभाविक है। पीडब्लू-7 से पीडब्लू-9 उस स्थान के बारे में सुसंगत नहीं हैं जहाँ कथित स्वीकारोक्ति की गई थी।

(i) भगिरथ से पूछताछ नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो पीडब्लू-9 के अनुसार कथित स्वीकारोक्ति के समय भी मौजूद था।यह चूक और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कथित तौर पर उनकी जमीन पर शव पाए गए थे।

निष्कर्ष

7. इसलिए, गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में अभियोजन पक्ष का मामला बिल्कुल भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।इसके अलावा, ऐसी कोई अन्य परिस्थितियाँ रिकॉर्ड में नहीं लाई गई हैं जो अभियोजन मामले का समर्थन या पुष्टि कर सकें। इसलिए, हमारे सुविचारित विचार में, अपीलार्थी के गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य को खारिज किये जाने योग्य है। निःसंदेह, अपीलार्थी के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है।इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बिल्कुल भी कायम नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, आक्षेपित निर्णयों को दरकिनार किया जाता है और अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए कथित अपराधों से बरी किया जाता है। अपीलार्थी के जमानत बंध पत्र रद्द किया जाता है। अपील की अनुमति है।

दिव्या पांडे

(सहायकः सानिका ठाकरे और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।